राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-495/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-(आदेश)-(183)-2021

लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम ,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी । (2) यह नियमावली दिनांक 27 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी।
नियम 26 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम26 में उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा,अर्थात्: - "परंतु यह भी कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को दिनांक 27 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के अधीन प्रपत्र जी.एस.टी. आर-3 ख में विवरणी को तथा धारा 37 के अधीन प्रपत्र जी.एस.टी.आर-1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे को प्रस्तुत करने या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ई वी सी) के माध्यम से सत्यापित बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग किये जाने की भी अनुज्ञा दी जाती है।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव